

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

विजय सिंह

बनाम

शिवराज सिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर. 141/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्री <u>विजयसिंह सो मश्मण सिंह शबरावत</u> श्री भती शबरावत <u>श्री मश्मण सिंह शबरावत</u> निवासी- <u>घाटियापानी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>बडोरिया (पन्हं उदपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>27, 28, 29, 30, 31</u> <u>0.48 0.55 0.07</u> कुल कीता <u>0.5</u> कुल रकबा <u>3.7500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बडोरिया पन्हं उदपुरा तह. चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>27 28 29 30 31</u> <u>0.48 0.55 0.07 0.61 2.04</u></p> <p>कुल कीता <u>0.5</u> रकबा <u>3.7500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000/-</u> रूपये अक्षरे <u>दो हजार शब्द</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(<u>वीनू देवल</u>) सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड लेखिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>